

क्रमांक 3322800/45/न.त.क./16/2271 / 3189  
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जलसंसाधन विभाग,  
जल संसाधन भवन तुलसी नगर भोपाल म0प्र0

भोपाल, दिनांक 13/12/2016


// आदेश //


म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र मांक एफ-1/2/2008/नियम/चार दिनांक 18 जुलाई-2008 एवं परिपत्र क्र मांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी, 2008 में निहित समयमान वेतनमान के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर निम्नलिखित उपयंत्रियों को प्रथम समयमान वेतनमान में वेतन बैंड रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4200 उनके प्रत्येक के नाम के समक्ष दर्शायी गई दिनांक से स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

स.क्र.	कर्मचारी /अधिकारी का नाम	नियुक्ति दिनांक	प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	श्री बद्रीलाल रावत	18.07.2003	18.07.2013
2	श्री रायसिंह बडोले	17.07.2003	17.07.2013
3	श्री दारासिंह जाधव	11.07.2003	11.07.2013
4	श्री बलीराम पाटीदार	23.06.2004	23.06.2014
5	श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता	19.10.2004	19.10.2014

सामान्य शर्तें-

1. समयमान स्वीकृति पर वेतन का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग ज्ञाप क्र मांक एफ-8/2009 /नियम चार दिनांक 23.03.2009 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 25.05.2009 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा । वेतन निर्धारण हेतु प्रपत्र दो पर आवश्यक विकल्प प्राप्त कर लिया जावे।
2. समयमान वेतन योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जावेगा परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानों का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

  
(एम.जी. चौधे)  
प्रमुख अभियंता,

 जल संसाधन विभाग, भोपाल

क्र मांक 3322800/45/न.त.क./16/2270 / 3190 भोपाल दिनांक 13/12/2016

प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य अभियंता, नर्मदा ताप्ती कछार, जल संसाधन विभाग, इन्दौर ।
- 2 अधीक्षण यंत्री,..... द्वारा स.क्र. 1
- 3 कार्यपालन यंत्री,..... द्वारा स.क्र. 1

- 4 निज सहायक प्रमुख अभियंता/अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल ।
- 5 संबंधित श्री ..... द्वारा स.क्र 1
- 6 वेब मैनेजर कार्यालय परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजना भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। संबंधित कार्यालय कृपया वेतन निर्धारण की कार्यवाही कर सेवा पुस्तिका की जाँच संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से कराने के पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही की जाय ।

(एन.के.भारिहार)

अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग, भोपाल

3/11/2